न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज0)

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तारीख हुक्म		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थना पत्र संख्या 134/2023 GCMS NO. 2023/389
उनवानी भगवानी बनाम महेश कुमार आदि
अन्तर्गत धारा 128/111 एल.आर.एक्ट 1956

09.07.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीया उपस्थित आये। अधिवक्ता प्रार्थीया के निवेदन पर बहस अधिवक्ता प्रार्थीया सुनी गई।

प्रार्थीया के द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा गया है कि ग्राम प्रतापपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 748 रकबा 2.31 हेक्टेयर की उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी सीमा जो खसरा नम्बर 741, 740, 742, 744 (1649/744), 745, 747, 749 के साथ लगती है की सर्वे सीट से नपती करवा कर भूमि खसरा नम्बर 748 रकबा 2.31 हेक्टेयर की चारों सीमाओं पर पुख्ता पील्लर व पत्थर लगवाने का आदेश दिया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व **अभिलेख** का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 ग्राम प्रतापपुरा पटवार हल्का गाडराटा तहसील खेतड़ी खाता संख्या 86 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 748 रकबा 2.31 हेक्टेयर में प्रार्थीया 9/14 हिस्से की खातेदार काश्तकार है। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 23.05.2023 द्वारा पटवारी हल्का गाडराटा के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थीया ने विवादित भूमि का सीमाज्ञान भी विधिवत् रूप से करवाया है तथा सीमाज्ञान आदेश दिनांक 23.05.2023 के अनुसार ही पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है। जो विधिसम्मत है। लिहाजा

तहरीर 247 15.07.24

आदेश

अतः प्रार्थीया का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वह वाके ग्राम **प्रतापपुरा** पटवार हल्का गाडराटा स्थित भूमि खसरा नम्बर 748 रकबा 2.31 हेक्टेयर की चारों सीमाओं की पटवारी हल्का गाडराटा की सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 23.05.2023 के अनुसार 1000/–रूपये की फीस पर पत्थरगढ़ी से प्रभावित पक्षकारों/काश्तकारों की मौके पर उपस्थिति में भूमि खसरा नम्बर 748 रकबा 2.31 हेक्टेयर की चारों सीमाओं का पुनः सीमाकंन करवाया जाकर पुख्ता पिल्लर पत्थरगढ़ी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवावें। तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को इस आशय की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **09.07.2024** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 9/7/24

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी जिला- नीमकाथाना (राज.)

(मुहर: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला-नीमकाथाना (राज.))